न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 08/2015

प्रार्थी
भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव
स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर

बनाम्

1. निम्बाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट (सारण) निवासी मुकने का तला बाड़मेर (फर्म मुनीम)
2. रेखाराम पुत्र धूड़ाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर (मासिक बजरंग दूध डेयरी तिलक बस स्टेण्ड बाड़मेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ा) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर उपस्थित
2. श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्राथीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 03.08.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.01.2015 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स बजरंग दूध डेयरी नेहरू नगर बाड़मेर प्रातः 10.30 पहुॅचने पर डेयरी पर विक्रेता की हैसियत से श्री निम्बाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट (सारण) निवासी मुकने का तला बाड़मेर (फर्म मुनीम) आम जनता को दूध का विक्रय करते हुए मिला। खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर वर्ष 2015 का नही होना बताया। डेयरी के मालिक का नाम पूछने पर रेखाराम पुत्र धूड़ाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर बताया। उपस्थित रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स बजरंग दूध डेयरी नेहरू नगर बाड़मेर का निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे फ्रीज के एक खण्ड में दूध (मिक्स) करीबन 50 लीटर आम जनता को विक्रय करने के लिये पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान को 70/– रूपये अदा किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 439 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–439 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाध पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी–439 की जॉच रिपोर्ट एलएस/64/एक्ट/2015/64 दिनांक 06.02.2015 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को भेजी जिस पर जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 439 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हुक्मसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 27.01.2015 को निरीक्षण करने के दौरान् मैसर्स बजरंग दूध डेयरी नेहरू नगर बाड़मेर में एक फ्रीज में करीबन 50 लीटर दूध (मिक्स) रखा हुआ पाया गया जो आम जनता को बेचा जा रहा था। उक्त दूध में मिलावट होने का सन्देह होने पर दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जांच के दौरान दूध (मिक्स) नमूना पी. 439 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्राथीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थीगण द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थीगण दूर–दराज गांवो से दूध इकट्ठा कर अपनी डेयरी में विक्रय करता है। अप्रार्थीगण ने खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिये प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/64 एक्ट/2015/64 दिनांक 06.02..2015 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किया जा रहा दूध का नमूना, जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्राथीगण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण श्री निम्बाराम वगैरहा से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का दूध रखने एवं बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण प्रत्येक पर 15000/– 15000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 03.08.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.08.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर